न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – ओ0पी0 सहारण आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या – 23/17

तहसीलदार धौलपुर वहैसियत लैण्ड होल्डर

———— प्रार्थी

बनाम

कैलाशी, ओमप्रकाश पिसरान मानसिंह जाति लोधा निवासी डण्डौली तहसील धौलपुर

———— अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीए

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर राज0

निर्णय दिनांक – 8.05.18

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 2906/213 रकवा 4 विश्वा, 2907/214 रकवा 13 विश्वा किस्म बा0दो0 बाके ग्राम विरोंधा तहसील धौलपुर अप्रार्थी कैलाशी, ओमप्रकाश पिसरान मानसिंह जाति लोधा निवासी डण्डौली की खातेदारी की आराजी है। अप्रार्थी को काश्त करने का पूर्ण अधिकार है किन्तु अकृषि प्रयोजन में लेने हेतु राज0 सरकार के नियमों के अन्तर्गत भूमि संपरिवर्तन कराये बिना कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार आराजी मुतनाजा पर अप्रार्थी ने अपने अधिकारों का उल्लंघन कर शर्त भंग की है। अप्रार्थीगण ने बिना भूमि संपरिवर्तन कराये एवं बिना अनुमति के विवादित आराजी खसरा नम्बर 2906/213 रकवा 4 विश्वा, 2907/214 रकवा 13 विश्वा पर ढाबा स्थापित कर दिया है जो कानूनी रूप से अवैद्य है तथा अप्रार्थी के बिना भूमि संपरिवर्तन कराये विवादित भूमि का अकृषि प्रयोजन करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि पर निहित अपने अधिकारों का का हनन कर कृषि भूमि को हानि पहुंचाकर शर्त भंग की है जिसके तहत अप्रार्थी विवादित भूमि से बेदखल किये जाने व विवादित भूमि को सिवायचक किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अंतर्गत भूमि को सिवायचक दर्ज कराने की आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। पत्रावली राजस्व लोक अदालत कोर्ट कैम्प ग्राम पंचायत विरोंधा में पेश हुयी। पत्रावली के अवलोकन से संलग्न रिपोर्ट पटवारी हल्का व गिरदावर के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 2906/213 रकवा 4 विश्वा, 2907/214 रकवा 13 विश्वा ग्राम विरोंधा पर खातेदार कैलाशी, ओमप्रकाश पिसरान मानसिंह जाति लोधा निवासी डण्डौली के द्वारा निर्माण कर ढाबा का

उपखण्डाधिकारी
धौलपर (राज)

Scanned by CamScanner

2906/213 रकवा 4 विश्वा, 2907/214 रकवा 13 विश्वा ग्राम विरोंधा पर खातेदार कैलाशी, ओमप्रकाश पिसरान मानसिंह जाति लोधा निवासी डण्डौली के द्वारा निर्माण कर ढाबा का

संचालन किया जा रहा है। पत्रावली में संलग्न जमावन्दी ग्राम विरोंधा सम्वत् 2070–73 के अनुसार खसरा नम्बर 2906/213 रकवा 4 विश्वा, 2907/214 रकवा 13 विश्वा का कैलाशी, ओमप्रकाश पिसरान मानसिंह जाति लोधा निवासी डण्डौली खातेदार काश्तकार दर्ज रिकार्ड है।

उपरोक्त दस्तावेजों के आधार पर यह स्पष्ट है कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 2906/213 रकवा 4 विश्वा, 2907/214 रकवा 13 विश्वा ग्राम विरोंधा के खातेदार काश्तकार कैलाशी, ओमप्रकाश पिसरान मानसिंह जाति लोधा निवासी डण्डौली द्वारा अपनी खातेदारी की कृषि भूमि का बिना सम्परिवर्तन कराये अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है जो कि राजस्थान काश्तकारी नियमों का उल्लंघन है व अप्रार्थी को इसका कोई हक प्राप्त नहीं है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के अन्तर्गत हम विवादित आराजी को सिवायचक दर्ज किया जना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 2906/213 रकवा 4 विश्वा, 2907/214 रकवा 13 विश्वा ग्राम विरोंधा तहसील धौलपुर पर खातेदार कैलाशी, ओमप्रकाश पिसरान मानसिंह जाति लोधा निवासी डण्डौली के खातेदारी अधिकार समाप्त कर आराजी को सिवायचक घोषित किया जाता है। तहसीलदार धौलपुर को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर भमि से खातेदार को बेदखल कर भूमि कब्जे राज लेकर रिपोर्ट न्यायालय को भिजवावें। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 8.05.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर लोक अदालत कोर्ट कैम्प ग्राम पंचायत विरोंधा में सुनाया गया।

(ओ0पी0 सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर

Scanned by CamScanner